दिनांक 03.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 05/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बाराबंकी /थाना मसौली

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **चोरी के 08 हजार 100 रूपये नगद**
- **चोरी की 02 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 03.09.2025 को थाना मसौली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शहावपुर नहर पुलिया के पास से 03 अभियुक्तों 1–अमित 2–रामराज 3–कैलाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, चोरी के 08 हजार 100 रूपये नगद, चोरी की 02 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.08.2025 को थाना मसौली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मसौली पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, मोटर साइकिल आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त अमित शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मसौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमित निवासी बरौलिया थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी।

2–रामराज निवासी भरसवा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

3–कैलाश निवासी ग्राम शुक्लनपुरवा थाना शुकुलबाजार जनपद अमेठी।

बरामदगी

1–चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–चोरी के 08 हजार 100 रूपये नगद।

3–चोरी की 02 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना गंगोह

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 35 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 353 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनॉकः 02.09.2025 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधर पर ग्राम बाडी माजरा से नकुड़ रोड की तरफ जाने वाले रास्ते से अभियुक्त तसव्वर उर्फ बूढा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 35 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 353 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध डकैती, लूट, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गंगोह पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–तसव्वर उर्फ बूढा निवासी ग्राम बाडी माजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1– लगभग 35 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 353 ग्राम अवैध स्मैक।

➢ **जनपद बाराबंकी/थाना फतेहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 38–38 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/307

/323/504/506 भादवि, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व 3(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामचन्दर 2–रामनरेश को आजीवन कठोर कारावास व 38–38 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हरदोई/थाना अरवल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना अरवल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/364/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सुभाषचन्द्र 2–रघुवीर 3–परमेश को सश्रम आजीवन कारावास व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हरदोई/थाना बेहटा गोकुल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 26–26 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना बेहटा गोकुल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–देवेन्द्र 2–गया प्रसाद 3–रामनाथ को आजीवन कारावास व 26–26 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद इटावा/थाना इकदिल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना इकदिल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376ए,बी भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संजय को सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद इटावा/थाना बकेवर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना बकेवर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत

अभियुक्त जबर सिंह उर्फ दिलीप कुमार को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहपुर/थाना सुल्तानपुर घोष (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना सुल्तानपुर घोष पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रोशन को 14 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद चित्रकूट/थाना पहाड़ी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना पहाड़ी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अखिलेश कुमार उर्फ कुमकुम 2–रमेश 3–गिरीश को 10–10 वर्ष के कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयΗ

––––––